उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

विविध

23 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 74/XVIII(3)2019–4(12)/2017–राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड के चकबन्दी अधिष्ठान (राजस्व विभाग) की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा नियमावली, 2018

भाग–1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम, उत्तराखण्ड चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा में समूह "ख" व "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएँ

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाए;

(ग) "आयोग" से 'उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संबंध में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; तथा

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2– संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है:

परन्तु यह कि:–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित रख सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा;

(ii) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पदों को सृजित कर सकते हैं जैसे वे उचित समझें।

भाग–3 भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(1) चकबन्दी अधिकारी — ऐसे स्थायी सहायक चकबन्दी अधिकारी, में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;

(2) सहायक चकबन्दी अधिकारी	(1) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;
	(2) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी चकबन्दीकर्ता में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4—अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी:—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही, अस्वीकार किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:–

पद	अर्हता
सहायक चकबन्दी अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता प्राप्त की हो।

अनिवार्य अर्हता

9. अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

अधिमानी अर्हता

10. अभ्यर्थी जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा;

आयु

11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर, की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए:

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र

12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा

उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 13. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होंगे;

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता 14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रुप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रुप से अनुमोदित करने से पूर्व उससेः–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित हैः

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगाः

परन्तु यह और कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49, वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग 5–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड़ की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) सीधी भर्ती करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारुप, आयोग द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) **(एक)** चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) **(क)** लिखित परीक्षा 100 अंको की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात् डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.uk.nic.in पर प्रदर्शित एवं प्रकाशित की जायेगी;

परन्तु यह कि ऐसे पद, जिनके लिये कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रुप में या भर्ती के ढंग के रुप में विहित किये गये हों, लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी, जो पद के लिये विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड़ विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगे:–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी जो उस पद का पर्यवेक्षीय हैसियत रखते हों जिसके लिए चयन किया जाये — सदस्य

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनु0जाति व जनजाति वर्ग का एक अधिकारी — सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी और सम्बन्धित को अपेक्षित संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के नाम भेजेगा।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियो से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 16, 17 अथवा 18 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है, तो निःसमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 18 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्तियों का आदेश जारी किया जाता है, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख यथास्थिति चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

प्रशिक्षण

20. (1) नियम 19 के अधीन नियुक्त किया गया सहायक चकबन्दी अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में ऐसे दिनांक पर जैसा संयुक्त संचालक चकबन्दी/चकबन्दी आयुक्त द्वारा नियत किया जाय 45 दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रवेश लेगा। प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी, जैसा कि संयुक्त संचालक चकबन्दी/चकबन्दी आयुक्त द्वारा विहित की जाय।

(2) प्रशिक्षण स्कूल का प्रधानाचार्य प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के कार्य और आचरण को उनकी उपस्थिति, आचरण और अनुशासन जिसके लिए अर्हकारी परीक्षा के कुल अंको का बीस प्रतिशत अंक चिन्हित किये जायेंगे, के आधार पर मूल्यांकन करेगा और प्रशिक्षणार्थी द्वारा इस संबंध में प्राप्त किये गये अंको को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको के साथ जोड़ा जायेगा।

(3) अर्हकारी परीक्षा में किसी प्रशिक्षणार्थी को तब तक बैठने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि कक्षाओं में उसकी उपस्थिति न्यूनतम अस्सी प्रतिशत न रही हो।

(4) अर्हकारी परीक्षा में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी असफल होता है तो ऐसे विषयों में जिनमें वह अर्हकारी परीक्षा के दौरान असफल रहा हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी उसके पश्चात् भी अर्हकारी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे सेवा के लिए अनर्ह माना जाएगा और तदनुसार उसकी सेवायें उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत समाप्त कर दी जायेगी।

(5) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर सभी प्रशिक्षणार्थियों की विद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

(6) प्रत्येक सत्र के दौरान संयुक्त संचालक चकबन्दी/चकबन्दी आयुक्त अर्हकारी परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए किसी अधिकारी को नाम निर्देशित करेगा। अधीक्षक अर्हकारी परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को नियुक्त करेगा तथा परीक्षा के दौरान प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किये गये अनुचित साधनो का प्रयोग करने या प्रयास करने सहित दुराचरण के मामलें यदि कोई हो की सूचना संयुक्त संचालक चकबन्दी/चकबन्दी आयुक्त को देगा। अधीक्षक अपने विवेकानुसार उस विशिष्ट प्रश्न पत्र में मुख्य परीक्षा से प्रशिक्षणार्थियों को बहिष्कृत कर सकेगा। ऐसा करने से पूर्व वह प्रशिक्षणार्थियों को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण दर्शाने का पूर्ण अवसर देगा। प्रशिक्षणार्थीगण संयुक्त संचालक चकबन्दी/चकबन्दी आयुक्त के समक्ष 15 दिवस के भीतर अपील दायर कर सकते हैं, जिसका इस संबंध में विनिश्चय अन्तिम होगा।

परिवीक्षा

21. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा:

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक के लिये नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित

कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

22. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) विहित विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित हो;

(च) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है;

ज्येष्ठता

23. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी पद पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते है:

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो ज्येष्ठता

वह होगी जो नियम 19 के अधीन संयुक्त आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरुप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय;

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे:

परन्तु यह कि:–

(i) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती हैं वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हो, नीचे कर दी जायेंगी।

(ii) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(iii) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत सेवा नियम या प्रक्रिया में

उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी है।

भाग–7 वेतन आदि।

वेतनमान

24. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' के अनुसार होंगे।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

25. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकार सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी:

परन्तु यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढायी गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यह कि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढायी गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8—अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन 26. पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण 28. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो इस मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा सम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे:

परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति 29. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–'क'

चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी के पदों की
जनपदवार एवं मण्डलवार संख्या
(नियम– 4(1), 4(2) एवं नियम 24(2) देखें)

पद नाम	वेतनमान एवं ग्रेड–पे	ऊधमसिंहनगर हेतु	हरिद्वार हेतु	कुमायूं मण्डल हेतु	गढ़वाल मण्डल हेतु	योग
चकबन्दी अधिकारी	15600–39100 ग्रेड पे 5400/– 7वें वेतन आयोग के अनुसार मैट्रिक्स (56100–177500) (लेवल–10)	02	02	02	02	08
सहायक चकबन्दी अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे 4200/– 7वें वेतन आयोग के अनुसार मैट्रिक्स (35400–112400) (लेवल–6)	07	07	07	07	28

आज्ञा से,
सुशील कुमार,
प्रभारी सचिव।